



आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
11.03.2024	<p style="text-align: center;">वाद संख्या-08/2024</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री कार्तिक सरदार, पिता-स्व0 परेश सरदार, ग्राम-गोमिया साई, पो0-हल्दी पोखर, थाना-कोवाली, जिला-पूर्वी सिंहभूम दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम अनुपस्थित।</p> <p>आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को निर्देश देता है कि परिवादी के शिकायत-पत्र में वर्णित शिकायतों का समाधान कर आयोग के समक्ष अपना लिखित प्रतिवेदन पेश करें। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक-28.03.2024 को निर्धारित की जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक-28.03.2024 को रखें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"><div data-bbox="269 829 577 1028" style="text-align: center;"> (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</div><div data-bbox="870 829 1193 1028" style="text-align: center;"> (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</div></div>	